वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2026 हेतु दिशा–निर्देश

योजना के अन्तर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।**(60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रैल, 2026 को आधार मान कर की जायेगी) अर्थात आवेदक का जन्म 01 अप्रेल 1966 से पूर्व का हो।**
2. **आवेदनकर्ता यदि यात्रा में जीवनसाथी को ले जाना चाहते है तो आवेदन पत्र में जीवनसाथी का कॉलम अनिवार्य रूप से भरना होगा।**
3. हवाई यात्रा में 80 वर्ष व 80 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदको का हवाई बीमा नहीं होने के कारण यात्रा दिवस को हवाई टिकट बुक करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः योजनान्तर्गत 80 वर्ष व 80 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रा में पात्र नहीं होगें। हवाई यात्रा मे किसी भी स्थिति में सहायक अनुमत नहीं होगा।
4. आवेदक स्वयं एवं जीवनसाथी आयकरदाता न हो इस बाबत स्वः घोषणा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।
5. आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो।
6. इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने जाने संबंधी आशय का स्वः घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। अर्थात जो व्यक्ति/यात्री देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत यात्री/जीवन साथी के रूप में यात्रा कर चुका है वह इस योजना में किसी भी तीर्थ की यात्रा हेतु पात्र नहीं होगा।
7. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
8. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।
9. वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। (यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किया जाना आवश्यक है)
10. आवेदनकर्ता स्वयं एवं उनके जीवन साथी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम /स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है तो ऐसे आवेदक योजना के पात्र नहीं होगें।
11. आवेदक अपने साथ जीवनसाथी अथवा सहायक में से किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा। परन्तु आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में ही बताना होगा कि उसका जीवनसाथी/सहायक भी यात्रा करने का इच्छुक है। आवेदन पत्र में सहायक का आधार नम्बर अनिवार्य है। सहायक एक ही यात्रा में अनुमत होगा।
12. रेल यात्रा हेतु पति/पत्नि के साथ –साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। यदि पति–पत्नि दोनो की आयु 75 वर्ष से अधिक है एवं आवेदन पत्र में **''सहायक''** पंजीकृत है तो सहायक अनुमत होगा।
13. रेल यात्रा में सहायक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। सहायक शारीरिक रूप से स्वस्थ्य व यात्री हेतु फिट हो।
14. यात्रा के दौरान होने वाली किसी दूर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नही होगा।

☐ मैं/जीवनसाथी/सहायक उक्त योजना के नियम/शर्तो से सहमत हूँ।

सहायक हेतु नियम :–

☐ मैं घोषणा करता/करती हूँ की मेरे द्वारा किसी अन्य आवेदनकर्ता के साथ सहायक के रूप में आवेदन नहीं किया गया है।

☐ यदि मैं किसी अन्य आवेदनकर्ता के साथ यात्रा करते हुए दोषी पाया जाता हूँ तो उसके लिये होने वाली समस्त कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।